कार्यालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर।
प्रशासनिक आदेश संख्या– 295 दिनांकः 13 अगस्त, 2020

आदेश

मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर द्वारा अपने पत्रांक कमांक मु0चि0अ0/कोविड़–19/2020/1389 दिनांक 13.08.2020 के द्वारा अवगत कराया है कि श्री दिनेश कुमार शुक्ला अधिवक्ता, अध्यक्ष, दि लायर्स एसोसिएशन, कानपुर नगर ने उन्हे अवगत कराया कि "श्री राजेश कुमार अधिवक्ता पंजीकरण सं0 9266/2004 निवासी 57ए बैरी खेड़ा कल्यानपुर, कानपुर नगर कोरोना पाजिटिव हैं। श्री राजेश कुमार एडवाकेट द्वारा न्यायालय क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों यथा ए0सी0एम0एम0-I, ए0सी0एम0एम0-VII, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 21 तथा बार मे गए हैं।"

मुख्य चिकित्साधिकारी ने शासनादेश सं0 902 (1)/पांच–5–2020 दिनांकित 31.05.2020 का उल्लेख करते हुए यह लिखा है कि "यदि कार्यस्थल मे किसी कार्मिक मे कोविड–19 के लक्षण पाए जाते हैं एवं जांच रिपोर्ट पाजिटिव आती है तो उस कार्मिक के सम्बन्धित कार्यस्थल के प्रक्षेत्र/भवन को 24 घंटे के लिए बन्द कर दिया जाए तथा उस स्थल को दो बार विसंक्रमित किया जाएगा। इसके साथ जो जो व्यक्ति उस कार्मिक के निकट सम्पर्क एक मीटर से कम दूरी तथा 15 मिनट से ज्यादा सम्पर्क मे आए हों, उन्हे 14 दिन के लिए क्वारेन्टाइन किया जाए।" मुख्य चिकित्साधिकारी ने शासनादेश की छायाप्रति अपनी रिपोर्ट के साथ संलग्न की है तथा प्रस्ताव किया है कि न्यायालय क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों यथा ए0सी0एम0एम0-I, ए0सी0एम0एम0-VII, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0.21 तथा बार को 24 घंटे के लिए बन्द करते हुए विसंक्रमित कराया जाए। मुख्य चिकित्साधिकारी ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी, कानपुर नगर, अपर जिलाधिकारी (नगर), कानपुर नगर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर व नगर स्वास्थ्य अधिकारी, कानपुर नगर को भी भेजी है।

मुख्य चिकित्साधिकारी की रिपोर्ट के अवलोकन के उपरान्त यह स्पष्ट है कि अधिवक्ता श्री राजेश कुमार जो कि बार मे आए हैं, न्यायालय ए0सी0एम0एम0-I, ए0सी0एम0एम0-VII एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 21 मे उपस्थित रहे हैं, कोविड–19 पाजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बार, विभिन्न कार्यालयों ए0सी0एम0एम0-I, ए0सी0एम0एम0-VII एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 21 को 24 घंटे के लिए बन्द करते हुए दो बार विसंक्रमित कराए जाने का प्रस्ताव किया है। सिविल कोर्ट परिसर पृथक–पृथक स्थित नहीं है, बल्कि उसका परिसर एक ही है, ऐसे मे मेरे विचार से 24 घंटे के लिए सिविल कोर्ट कैम्पस को बन्द कराया जाना चाहिए और इसे दो बार विसंक्रमित कराया जाना चाहिए।

अतः जिला एवं सत्र न्यायालय, कानपुर नगर दिनांक 14.08.2020 को बन्द रहेगा। न्यायालय परिसर एवं न्यायालय भवनों को पूर्णतया दो बार सैनेटाइज कराया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट व नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी की होगी। सिविल कोर्ट के दो बार विसंक्रमित कराए जाने के सम्बन्ध मे प्रभारी अधिकारी नजारत रिपोर्ट देंगे तथा वह सुनिश्चित करेंगे कि उनके व सी0एम0एम0 के निर्देशन मे विसंक्रमण करने की कार्यवाही अच्छी

तरह से सम्पादित हो जाए। सिविल कोर्ट के विसंक्रमित हो जाने के पश्चात ही इसको खोला जाएगा।

दिनांक 14.08.2020 को नियत जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई अगले कार्य दिवस 17.08.2020 को होगी। इसी प्रकार दिनांक 14.08.2020 को नियत बहस एवं धारा 313 द0प्र0सं0 की पत्रावलियां दिनांक 17.08.2020 को पेश होंगी। शेष समस्त दीवानी वादों मे सामान्य तिथि 18.09.2020 तथा फौजदारी वादों मे सामान्य तिथि 09.10.2020 नियत की जाती है।

आज पारित आदेश से समस्त कर्मचारीगण, अधिकारीगण सूचित हो तथा सूचना माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित की जाए। आदेश को जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। आदेश की प्रति अध्यक्ष/महामंत्री बार एसोसिएशन व दि लायर्स एसोसिएशन, कानपुर नगर को प्रेषित की जाए।

जिलाधिकारी, कानपुर नगर, मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर एवं नगर आयुक्त, कानपुर नगर को सम्पूर्ण न्याय भवनों एवं बार की पूर्णतया साफ–सफाई एवं दो बार सैनेटाइजेशन हेतु अलग से पत्र प्रेषित किया जाए।

(अशोक कुमार सिंह–III)
जनपद न्यायाधीश,
कानपुर नगर।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
कानपुर नगर।

सेवा में,

मा0 जनपद न्यायाधीश,
कानपुर नगर।

पत्रांक : मु0चि0अ0 / कोविड–19 / 2020 / 1309 दिनांक : 13.08.2020

विषय: **श्री राजेश कुमार एडवोकेट पंजीकरण संख्या 9266 / 2004 निवासी 57ए बैरी खेड़ा कल्यानपुर कानपुर नगर के कोरोना–19 संक्रमण के पश्चात् माननीय कोर्ट परिसर में मूवमेन्ट से सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि श्री दिनेश कुमार शुक्ला एडवोकेट एवं अध्यक्ष द लॉयर्स एसोसियेशन कानपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री राजेश कुमार एडवोकेट पंजीकरण संख्या 9266 / 2004 निवासी 57ए बैरी खेड़ा कल्यानपुर कानपुर नगर कोरोना पॉजिटिव हैं। श्री राजेश कुमार एडवोकेट द्वारा न्यायालय क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों यथा ए0सी0एम0एम01, ए0सी0एम0एम0 7 एवम् ए0डी0जे0 21 तथा बार गये हैं।

शासनादेश संख्या 902(1) / पांच–5–2020 दिनांक 31.05.2020 के अनुसार यदि कार्य स्थल मे किसी कार्मिक में कोविड–19 के लक्षण पाये जाते हैं एवं जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उस कार्मिक के सम्बन्धित कार्य स्थल के प्रक्षेत्र / भवन को पूरी तरह से 24 घण्टे के लिये बन्द कर दिया जाय तथा उस स्थल को 02 बार विसंक्रमित किया जायेगा। इसके साथ जो जो व्यक्ति उस कार्मिक के निकट संपर्क 01 मी0 से कम दूरी तथा 15 मिनट से ज्यादा सम्पर्क में आये हों उन्हें 14 दिन के लिये क्वारेन्टाइन किया जाय (छायाप्रति संलग्न)।

तद्क्रम में माननीय न्यायालय क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों यथा ए0सी0एम0एम01, ए0सी0एम0एम0 7 एवम् ए0डी0जे0 21 तथा बार को 24 घण्टे के लिये बन्द करते हुए विसंक्रमित कराना प्रस्तावित है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

मुख्य चिकित्साधिकारी,
कानपुर नगर।

पत्रांक : मु0चि0अ0 / कोविड–19 / 2020 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. अपर जिलाधिकारी (नगर), कानपुर नगर।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर।
5. नगर स्वास्थ्य अधिकारी कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त माननीय न्यायालय परिसर / कार्यालय को 02 बार विसंक्रमित किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्साधिकारी,
कानपुर नगर।

शीर्ष प्राथमिकता
संख्या–902/पांच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी**, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ:: दिनांक: 31 मई, 2020

विषयः–प्रदेश में औद्योगिक/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तथा अन्य कार्यालयों/संस्थाओं/संस्थानों में कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु प्रबन्धन एवं बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु लागू किये गये देश व्यापी लॉकडाउन में धीरे–धीरे चरणों में छुट दी जा रही है, जिससे निर्माण स्थलों/कार्य स्थलों/कार्यालयों में कार्य प्रारम्भ हो रहा है। इन स्थानों पर कार्य प्रारम्भ होने से व्यक्तियों के मध्य सम्पर्क बढ़ेगा, जिससे कोविड–19 का संक्रमण बढ़ सकता है।

2– उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में विभिन्न निर्माण स्थलों/कार्य स्थलों/कार्यालयों में कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :–

(क) कार्यस्थलों पर की जाने वाली कार्यवाही –

1. कार्यस्थल के प्रवेश द्वार एवं प्रमुख स्थानों पर श्रमिकों/कार्मिकों द्वारा नियमित रूप से हाथ धोने की व्यवस्था की जाए। यूनिट में प्रवेश करने से पूर्व कार्मिकों के हाथ धोने व सैनिटाइज करने हेतु साबुन एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए। यह सुनिश्चित किया जाय कि साबुन/सैनिटाइजर नियमित रूप से रिफिल किया जाय व प्रत्येक व्यक्ति परिसर में प्रवेश से पहले हाथ अवश्य धोएं।

2. कार्य स्थल पर प्रवेश करने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। पर्यवेक्षक द्वारा कार्मिकों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जायेगी तथा खासी, बुखार अथवा सांस फूलने संबन्धी शिकायत होने पर उन्हें कार्यस्थल पर प्रवेश की अनुमति न दी जाय।

3. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्य स्थल तथा ऐसी सतह/वस्तु जो बार–बार छुई जाती है यथा डोर नॉब्स, गेट कुंडी आदि को नियमित रूप से विसंक्रमित किया जा रहा है। कार्य में आने वाले औजारों/उपकरणों को यदि साझा किया जा रहा है तो उक्त औजारों/उपकरणों को विशेष रूप से विसंक्रमित किया जाय।

–2–

(ग) सेवा प्रदाता द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :-

1. प्रबंधक / पर्यवेक्षक को कार्य स्थल पर शिफ्ट वार एक रजिस्टर रखना चाहिए जिसमें कर्मचारियों / पर्यवेक्षकों के नाम / पते / मोबाइल नंबर का अंकन हो।
2. जहां तक संभव हो गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों सहित महिलाओं को कार्यस्थल / साइट पर न आने दिया जाए।
3. यदि श्रमिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने हेतु वाहन का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें 100 सीटर बस में केवल 50 प्रतिशत क्षमता में ही परिवहन की सलाह दी जाती है। यह अनुपालन सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
4. परिवहन में प्रयोग में आने वाले वाहनों का भी प्रयोग से पहले तथा प्रयोग के बाद 1 प्रतिशत सोडियम हाइपो क्लोराइड से सैनिटाईजेशन कराया जाय।
5. यदि कार्यस्थल पर कैंटीन संचालित की जा रही हैं तो कैंटीन के कर्मचारियों को दस्ताने उपलब्ध कराए जाने चाहिए और उन्हें बार-बार हाथ धोने हेतु निर्देशित करना आवश्यक है। कैन्टीन स्थल पर संबन्धित कार्मिकों के प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाए।

3- यदि कार्यस्थल पर किसी कार्मिक में कोविड-19 के लक्षण के पाये जाते हैं एवं जाँच में रिपोर्ट पाजिटिव आती है तो उस कार्मिक से सम्बन्धित कार्य स्थल के प्रक्षेत्र / भवन को पूरी तरह से 24 घंटे के लिये बन्द कर दिया जाय तथा उस स्थल को दो बार विसंक्रमित किया जायेगा। इसके साथ जो-जो व्यक्ति उस कार्मिक के निकट सम्पर्क (एक मीटर से कम दूरी तथा 15 मिनट से ज्यादा सम्पर्क) में आये हों, उन्हें 14 दिन के लिये क्वारेन्टाइन किया जाय।

कृपया औद्योगिक / व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा कार्यालयों / संस्थाओं / संस्थानों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या-902(1) / पांच-5-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

...itive Case History

Back

CASE ID	KNNN003609442
Name	RAJESH
Mobile	8957560329
Age	45
Gender	male
District	KANPUR NAGAR
Block Name	KNN Block - Urban
Registration Date	11/08/2020
Verified	Verified
Date of arrival	

Symptoms Details

Fever	No
Cough	No
Sore Throat	No
Breathing Problem	No
Quarantine	No
Domestic Travel	No
Foreign Travel	No
Contact with COVID-19 Positive Person	No
Description	Suspected person contact with covid positive

Medical Record

Below Poverty Line

Education Level

Medical Conditions

Search: KANPUR NAGAR DM

Sr.No	Sample Id	Sample Collection Date	Lab Result Date	Lab Name	Test Type	Created At	Created By	Updated By	Result
	3662163	11/08/2020	12/08/2020	GSVM Kanpur(Public)	RT-PCR	11/08/2020	KANPUR NAGAR DM	GSVM Kanpur	Positive RT-PCR

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

Search:

Sr.No	Facility Type	Facility Routed To	Allocation Date
No data available in table			

Previous Next